

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांकB/ 920...../

जबलपुर, दिनांक 8/ 2 / 19

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में निम्नांकित तालिका अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश का उपभोग करने एवं कारण बताओ नोटिस में दिये गये निर्देश का अवहेलना करते हुए अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में प्रस्तुत न करने/चिकित्सीय दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण कॉलम नम्बर 3 में उल्लेखित दिनाकों का अवैतनिक स्वीकृत किया गया है।

क्र.	नाम एवं पद	अवैतनिक दिनांक
1	2	3
1	श्रीमती ममता दास, भृत्य	दि. 29.12.18 एक दिवस
2	श्रीमती मीना कुमारे मरावी, भृत्य	दि. 18.12.18 एवं 31.12.18 दो दिवस
3	श्रीमती कुसुम कनोजिया, भृत्य	दि. 27.12.18 एक दिवस
4	श्री तेजीलाल रैकवार, भृत्य	दि. 22.12.18 एक दिवस

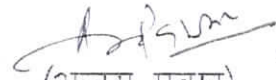
सही/-
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक.....13/ 921...../

जबलपुर, दिनांक 8 / 2 / 19

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. अनु. अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सहायक अवकाश/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती ममता दास, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्रीमती मीना कुमारे मरावी, भृत्य उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्रीमती कुसुम कनोजिया, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री तेजीलाल रैकवार, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अजय पवार)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)